क्रम-संख्या—522

रजिस्टर्ड नं० ए०-डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 14 सितम्बर, 1979

भाद्रपद 23, 1901 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2404/सत्रह-वि0-1—79-1979

लखनऊ, 14 सितम्बर, 1979

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1979 पर दिनांक 13 सितम्बर, 1979 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) अधिनियम, 1979

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1979]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1952 की धारा 2 का संशोधन।

2—उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (क) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश के भीतर किसी समय और किसी रेल द्वारा ऐसे कूपनों का उपयोग करके प्रथम श्रेणी के आरक्षित कूपे (दो बर्थ वाला कम्पार्टमेंट) या वातानुकूलित श्रेणी में एकल आरक्षित बर्थ द्वारा यात्रा करने का हकदार होगा";

(दो) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—इस अधिनियम में, पद 'उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल' या 'उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का नेता विरोधी दल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के ऐसे सदस्य से है जिसे, यथास्थिति, विधान सभा के अध्यक्ष या विधान परिषद् के सभापति द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो।";

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(1—क) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई सदस्य रेल द्वारा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करता है, और उक्त उपधारा में निर्दिष्ट किसी धनराशि के मूल्य के कूपन स्वीकार नहीं करता है, तो वह ऐसे कूपन के बदले में निम्नलिखित धनराशि विहित रीति से मांगने का हकदार होगा, अर्थात्—

(एक) उत्तर प्रदेश के भीतर की गयी यात्रा की स्थिति में, द्वितीय श्रेणी में ऐसी यात्रा में वास्तव में रेल भाड़े के लिए व्यय की गयी धनराशि;

(दो) उत्तर प्रदेश के बाहर की गयी यात्रा की स्थिति में, उतनी धनराशि जितने से वह प्रतिवर्ष अधिक से अधिक पन्द्रह हजार किलोमीटर तक, किसी समय और किसी रेल द्वारा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने के लिए हकदार हो जाय ;

(तीन) खण्ड (एक) या खण्ड (दो) में निर्दिष्ट यात्रा की स्थिति में, यथास्थिति, एक सीट या शयन-यान (स्लीपर) में एक बर्थ के लिये आरक्षण परिव्यय के रूप में व्यय की गयी धनराशि ;

(चार) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में किसी सहवर्ती द्वारा की गयी यात्रा की स्थिति में, द्वितीय श्रेणी में ऐसी यात्रा में वास्तव में रेल भाड़े के लिये व्यय की गयी धनराशि।";

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(3) ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जो विहित की जायं, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, ऐसे सदस्य होने के नाते अपने कर्त्तव्यों या कार्यों से संबंधित प्रयोजनों के लिये अपनी अपेक्षित उपस्थिति के लिए निम्नलिखित का हकदार होगा—

(क) उक्त प्रयोजनों के लिए यात्रा के लिए, अर्थात् यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के प्रत्येक सत्र में या उसकी किसी समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए, अधिक से अधिक किसी कलेन्डर मास में दो बार केवल बैठक के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास-स्थान को वापस जाने के लिए आनुषंगिक व्यय :

परन्तु यदि कोई सदस्य एक ही कलेण्डर मास में दो या अधिक समितियों की बैठकों में भाग लेता है तो वह ऐसे मास में इस खण्ड के अधीन चार से अधिक बार आनुषंगिक व्यय का हकदार न होगा;

(ख) यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति द्वारा बुलायी गई बैठक में भाग लेने के लिए, बैठक के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए आनुषंगिक व्यय ;

(ग) समिति के ऐसे कार्य के संबंध में जो समिति की बैठक से भिन्न हो, समिति के सभापति के रूप में उनके द्वारा अधिक से अधिक किसी कलेन्डर मास में दो बार केवल लखनऊ आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए की गई यात्राओं के लिये आनुषंगिक व्यय; और

(घ) तीस रुपये प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता जिसकी गणना निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार की जायगी, अर्थात्—

(एक) उक्त भत्ता, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के सत्र के दौरान या उसकी किसी समिति की किसी बैठक में, प्रत्येक दिन की उपस्थिति के लिए देय होगा।

(दो) उक्त भत्ता, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के लगातार उपवेशन के एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात् के लिए भी, देय होगा, यदि सदस्य उन दिनों में ऐसे लगातार उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो ;

(तीन) उक्त भत्ता, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के लगातार उपवेशन या उसकी समिति की लगातार बैठक के दौरान में स्थगन के दिनों के लिए, और उन छुट्टी के दिनों के लिए भी, जो ऐसे लगातार उपवेशन या बैठक के दौरान पड़े, देय होगा, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में उपवेशन या बैठक के स्थान पर उस्थित हो;

(चार) उक्त भत्ता चार से अनधिक ऐसे दिनों के लिए भी जो विधान सभा या विधान परिषद् के उपवेशन या उसकी किसी समिति की बैठक के अन्तिम दिन और विधान सभा या विधान परिषद् की उसी या किसी अन्य समिति की बैठक के प्रथम दिन के बीच पड़े, देय होगा, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में बैठक के स्थान पर उपस्थित हो ;

(पांच) यदि उप खंड (तीन) या उप खंड (चार) के अधीन आने वाले किसी मामले में, कोई सदस्य उपवेशन या बैठक के स्थान से अपने निवास स्थान या अपने निर्वाचन क्षेत्र को चला जाय तो वह इस खंड के उपबन्धों के अनुसार दैनिक भत्ता या खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार आनुषंगिक व्यय, जो भी कम हो, पाने का हकदार होगा;

(छः) उत्तर प्रदेश विधान सभा के नेता विरोधी दल को ऐसा कोई भत्ता देय नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—उपवेशन या बैठक को लगातार समझा जायगा यदि किसी अधिवेशन या बैठक के अंतिम दिन और दूसरे अधिवेशन या बैठक के प्रथम दिन के बीच की अवधि चार दिन से अधिक न हो।"

धारा 2-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 2-क में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(1) उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल प्रतिमास एक हजार रुपये वेतन और प्रतिमास तीन सौ रुपये वाहन भत्ता पाने का हकदार होगा।" ;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(3) उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का नेता विरोधी दल अपनी पदावधि पर्यन्त लखनऊ में नियतमान के अनुसार सुसज्जित और अनुरक्षित निवास स्थान का बिना किराय के उपयोग करने का हकदार होगा।" ;

(ग) उपधारा (4) में, शब्द "उसके लिये" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल के लिये" रख दिये जायेंगे।

धारा 2ख का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 2-ख में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "नेता विरोधी दल" के स्थान पर, शब्द "उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का नेता विरोधी दल" रख दिये जायंगे ।

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(3) धारा 2 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, लखनऊ में और अपने निवास के स्थान या अपने निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन के सम्बन्ध में ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा जैसी नियमों द्वारा विहित की जायं ।"

धारा 3 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में, शब्द "नेता विरोधी दल" के स्थान पर, शब्द "उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल" रख दिये जायेंगे ।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव ।

No. 2404/XVII-V—1-79-1979

Dated Lucknow, September 14, 1979

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyon Aur Pension Ka) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 1979), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 13, 1979 :

THE UTTAR PRADESH LEGISLATIVE CHAMBERS' (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1979

[U. P. ACT NO. 29 OF 1979]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Legislative Chambers' (Members' Emoluments and Pension) Act, 1952.

IT IS HEREBY enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Legislative Chambers' (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1979.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. XII of 1952.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Legislative Chambers' (Members' Emoluments and Pension) Act, 1952, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1)—

(i) in clacse (*a*), the following proviso shall be *inserted,* namely :—

"Provided that the Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Assembly and the Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Council shall be entitled to travel by a Reserved Coupe (Two-berth Compartment) of first class or one single reserved berth of air-conditioned class, within Uttar Pradesh at any time and by any railway, by the use of such coupons" ;

(ii) *after* clause (*c*), the following Explanation shall be *added*, namely :—

"*Explanation*—In this Act, the expression 'the Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Assembly' or 'the Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Council' means the member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly or the Uttar Pradesh Legislative Council, who is for the time being recognised as such by the Speaker of the Legislative Assembly or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be." ;

(*b*) *after* sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(1-A) If a member referred to in sub-section (1) travels by rail in second class, and such member does not accept any money value coupons referred to in that sub-section, he shall be entitled to claim in the manner prescribed, the following amounts in lieu of such coupons, namely :—

(*c*) for sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

(i) in the case of journy performed within Uttar Pradesh, an amount equal to the railway fare actually spent on such journey by second class ;

(ii) in the case of journey performed outside Uttar Pradesh, an amount which may entitle him to travel in second class at any time and by any railway to a maximum limit of 15,000 kilometres per year ;

(iii) in the case of a journey referred to in clause (i) or clause (ii) an amount spent as reservation charges for one seat or one berth in sleeper, as the case may be ;

(iv) in the case of a journey performed by a companion, an amount equal to the railway fare actually spent on such journey by second class in the circumstances specified in sub-section (1).";

"(3) Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, each member referred to in sub-section (1) shall be entitled for his attendance required for purposes connected with his duties or function as such member to—

(*a*) incidental charges for journeys for the said purposes, namely, for attendance in each session of the Legislative Assembly or Legislative Council, as the case may be, or at any sittings of any committee thereof, only for coming to the place of sitting and going back to his residence not more than twice in a calendar month :

Provided that if a member attends the sittings of two or more committees in the same calendar month, he shall be entitled to incidental charges under this clause for not more than four times in such month ;

(*b*) incidental charges for participating in a meeting called by the Speaker or the Chairman, as the case may be, for coming to the place of meeting and for going back to his residence ;

(*c*) incidental charges for journeys performed by him as Chairman of a Committee in connection with the work of the Committee, other than a meeting of the Committee, for coming to Lucknow and for going back to his residence not more than twice in a calendar month ; and

(*d*) daily allowance at the rate of thirty rupees per day which shall be calculated in accordance with the following principle, namely :—

(i) the allowance shall be payable for each day of attendance during the session of the Legislative Assembly or the Legislative Council, as the case may be, or at any sittings of any committee thereof ;

(ii) the allowance shall also be payable for one day before and one day after a continuous sitting of the Legislative Assembly or the Legislative Council, as the case may be, provided that the member is present at the place of such continuous sitting on those days ;

(iii) allowance shall also be payable for the days of adjournment in the course of a continuous sitting of the Legislative Assembly or Legislative Council or of its Committee, as the case may be, and for the holidays falling in between such continuous sitting, provided that the member is present at the place of sitting on all such days ;

(iv) the allowance shall also be payable for the number of days not exceeding four which intervene between the last day of a sitting of the Legislative Assembly or the Legislative Council or of its Committee, and the first day of the sitting of the same or another Committee of the Legislative Assembly or the Legislative Council, provided that the member is present at the place of sitting on all such days ;

(v) where in a case falling under sub-clause (iii) or sub-clause (iv), a member leaves the place of sitting for his residence or for his constituency, he shall be entitled to a daily allowance in accordance with the provisions of this clause or incidental charges in accordance with clause (*a*) or clause (*b*) whichever is less ;

(vi) no such allowance shall be payable to the Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Assembly.

Explanation—A sitting shall be deemed to be continuous if the number of days between the last day of a meeting and the first day of another meeting is not more than four."

Amendment of section 2-A.

3. In section 2-A of the principal Act,—

(*a*) *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely—

"(1) The Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Assembly shall be entitled to receive a salary of rupees one thousand per mensum and a conveyance allowance of rupees three hundred per mensum." ;

(*b*) *for* sub-section (3), the following section shall be *substituted*, namely—

"(3) The Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Assembly and the Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Council shall be entitled, without payment of rent to the use throughout the term of office, of a residence at Lucknow, furnished and maintained on a scale to be prescribed." ;

(*c*) in sub-secion (4), *for* the word "He", the words "The Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Assembly" shall be *substituted*.

Amendment of Section 2-B.

4. In section 2-B of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *for* the words "the Leader of Opposition", the words "the Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Assembly or the Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Council" shall be *substituted* ;

(*b*) *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(3) Each member referred to in sub-section (1) of section 2 shall be entitled to such facilities regarding telephone at Lucknow and the place of his residence or in his constituency as may be prescribed by rules."

Amendment of section 3.

5. In section 3 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "the Leader of Opposition", the words "the Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Assembly" shall be *substituted*.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 514 राजपत्र (हि0)—14-9-79(2060)1979—2225 (मेक0) ।